21

[2022] 13 एस. सी. आर. 21

ए.

खेमा @खेमा चंद्र ई. टी. सी. बनाम.

उत्तर प्रदेश राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1200-1202) 10 अगस्त, 2022

बी.

[बी**.** आर**.** गवई और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

आपराधिक मुकदमा:साक्ष्य-प्रशंसा-अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियां और विसंगतियां-तथ्यों पर प्रभाव, विभिन्न हथियारों से लैस अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़ित पर हमला किया, और बंदूक की गोलियां भी चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई-पीड़ित अपने भाई, उसकी बहन, उसकी पत्नी और पीडब्लू-2 के साथ था-जब वे सभी पीड़ित की जान बचाने के लिए आगे आए, तो उन पर भी हमला किया गया और हमले में पीडब्लू-2 को भी गोली लगी-दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्धि और सजा।302/149,s. 307/149 और s.148 अवर न्यायालयों द्वारा आई. पी. सी., एक चश्मदीद गवाह और एक घायल गवाह की गवाही के आधार पर, जिसकी पुष्टि अभियुक्त के ज्ञापन के आधार पर की गई बरामदगी से हुई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विसंगतियों और विसंगतियों को ध्यान में रखने में विफल रहे-साक्ष्य के अवलोकन के साथ-साथ निचली विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से ही यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-1 को एक चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता है-हालांकि, पीडब्लू-2 एक घायल चश्मदीद गवाह है, चोट लगने के समय और चिकित्सा जांच के समय के संबंध में गंभीर विसंगतियां और विसंगतियां हैं-चिंतित डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में कई मौकों पर अपना रुख बदला, उनकी गवाही अभियोजन पक्ष के दोनों गवाहों के बिल्कुल विपरीत थी-इस तरह चोट प्रमाण पत्र में कुछ मनगढ़ंत होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता-इसके अलावा, घायल गवाह की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को आधार बनाना सुरक्षित नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

21 ए.

अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की वास्तविक उत्पत्ति को अभिलेख पर नहीं लाने से इंकार नहीं किया जा सकता है-इसे देखते हुए, अपीलार्थियों संदेह के लाभ के हकदार हैं-दंड संहिता, 1860-एस. एस.302/149,s. 307/149 और s.148.

भारत का संविधानःअनुच्छेद 136-तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष-साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के साथ हस्तक्षेप-कब आयोजित किया गयाःयद्यपि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के मामलों में यह न्यायालय सामान्य रूप से उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, असाधारण परिस्थितियों में, यह न्यायालय ऐसा करने के लिए सशक्त है-यदि यह न्यायालय पाता है कि साक्ष्य और निष्कर्षों का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की किसी भी त्रुटि से दूषित है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाया जाता है, रिकॉर्ड की त्रुटियां और साक्ष्य का गलत अध्ययन, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं, तो इस न्यायालय को साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति है।

बी.

सी.

जरनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य **(2009) 9**

एससीसी 719:[2009] 13 एससीआर 774; अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एससीसी 259:[2010] 13

डी.

एस**.** सी**.** आर**. 311;** श्रीमती दलबीर कौर और अन्य बनाम राज्य

पंजाब (1976) 4 एससीसी 158:[1977] 1 एससीआर 280;

रामाशीष राय बनाम जगदीश सिंह **(2005) 10** एस**.** सी**.** सी**. 498;** वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य **(1957)** एस**.** सी**.** आर**. 981;** हिमाचल प्रदेश प्रशासन बनाम श्री ओम प्रकाश

ई.

(1972) 1 एससीसी 249:[1972] 2 एस. सी. आर. 765; अरुणाचलम

बनामपी. एस. आर. साधनानथम और एक अन्य **(1979) 2** एस. सी. सी. **297: [1979] 3** एस. सी. आर. **482;** मिथलेश कुमारी और एक अन्य बनाम.

प्रेम बिहारी खरे (1989) 2 एससीसी 95:[1989] 1 एससीआर

621; यू. पी. राज्य बनामबाबुल नाथ **(1994) 6** एस. सी. सी. **29:[1994] 2** पूरक।एससीआर **598;** पट्टक्कल कुन्हीकोया **(**मृत**)** बनाम एल. आर.तुपियक्कल कोया और एक और **(2000) 2**

एफ.

एससीसी 185:[1999] 5 पूरक।एस. सी. आर. 371; अशोक सिंह

जयेंद्रसिंह बनाम गुजरात राज्य **(2019) 6** एस. सी. सी. **535:**

[2019] 7 एस. सी. आर. **309-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

जी.

[2009] 13 एससीआर **774**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2010] 13 एससीआर **311**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[1977] 1 एससीआर **280**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9** ए

एच.

23

खेमा @खेमा चंद्र ई. टी. सी. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य ए

[1972] 2 एससीआर **765**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

[1979] 3 एससीआर **482**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

[1989] 1 एससीआर **621**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

[1994] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 598** पैरा **26 [1999] 5** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 371** पैरा **26 [2019] 7** एस**.** सी**.** आर**. 309** पैरा **27** को संदर्भित

बी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1200-1202।

सी.

सी. आर. एल. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2019 से। 2006 की अपील सं. 7260 और 6227।राजुल भार्गव, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष गर्ग, राजीव के. गर्ग, टी. एल. गर्ग, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री गरिमा प्रसाद, ए. ए. जी., एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, विष्णु शंकर जैन, विकास बंसल, अजय यादव, सुशांत कुमार यादव, गौरव लोमेस, पृथ्वी यादव, आदर्श वर्मा, संजीव मल्होत्रा, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.**

ई.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की आपराधिक अपील संख्या 6961,7260 और 6227 में पारित 30 अप्रैल 2019 के फैसले और आदेश को चुनौती देती हैं, जिससे अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, मथुरा (जिसे इसके बाद "निचली अदालत" के रूप में

संदर्भित किया गया है) द्वारा 2002 की सत्र सुनवाई संख्या 515 और 655 में पारित 28 सितंबर 2006 के फैसले और आदेश की पुष्टि की जाती है, जिसमें अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 149 के सहपठित पठनीय धारा 307 और धारा 148 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। 5, 000/- प्रत्येक।

एफ.

जी.

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैः

मृतक प्रकाश की दो बेटियों की शादी 1 मई 2002 को होनी थी।27 अप्रैल 2002 को लगभग 08.00 बजे,

एच.

जब मृतक प्रकाश और उसकी पत्नी कृपा आरोपी दीपी के घर के पास अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देने जा रहे थे, तो घर के अंदर छिपे हुए सभी आरोपी हथियार लेकर बाहर आ गए। आरोपी दीपी और कन्हैया उनके साथ फरसा कर रहे थे, जबकि आरोपी खेमा उर्फ खेम चंद्र का एक क्लब था।आरोपी जसराम, बलवीर और महावीर के पास देसी पिस्तौल थी।उन सभी ने मृतक प्रकाश पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे ईंट की सड़क पर फेंक दिया।मृतक प्रकाश का भाई इंदर (पीडब्लू-2), उसकी बहन ओमवती और पत्नी कृपा मृतक प्रकाश की जान बचाने के लिए आगे आए।हालाँकि, अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर भी हमला किया।उक्त हमले में इंदर (पीडब्लू-2) को गोली लगी थी।मृतक प्रकाश के भाई ओमवीर (पीडब्लू-1) द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 27 अप्रैल 2002 को सुबह 10.10 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उक्त एफ. आई. आर. के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,307,302 और 506 के तहत दंडनीय अपराध दर्ज किया गया।जाँच पूरा होने के बाद निचली विचारण न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया।चूँकि इस मामले की सुनवाई विशेष रूप से सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा सकती थी, इसलिए यह विद्वान सत्र न्यायाधीश को सौंप दिया गया था।विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 147,148,302 के सहपठित 149 और 307 के सहपठित 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए। आरोपी बलवीर के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (जिसे इसके बाद "शस्त्र अधिनियम" के रूप में संदर्भित विद्वान गया है) और आरोपी दीपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत भी आरोप तय किए गए

थे। अभियुक्त व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं विद्वान और मुकदमा चलाने का दावा विद्वान ।मुकदमे के समापन पर, निचली विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उपरोक्त के अनुसार दोषी ठहराया।इससे व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया था, जिससे निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा की पुष्टि होती है।इससे व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।4. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजुल भार्गव, राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद और प्रथम सूचना देने वाले की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सिंह को सुना है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

5. श्री भार्गव ने कहा कि निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में घोर गलती की है।उन्होंने कहा कि अपीलार्थियों को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि ओमवीर (पीडब्लू-1) को एक चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया है, लेकिन उसकी गवाही से यह स्पष्ट है कि वह इस घटना को नहीं देख सकता था।उन्होंने ए प्रस्तुत किया

एच.

कि निचली विचारण न्यायालय ने भी कहा है कि ओमवीर (पीडब्लू-1) के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने घटना नहीं देखी है।उन्होंने आगे कहा कि इंदर (पीडब्लू-2) जिसे एक घायल गवाह कहा जाता है, वह भी एक स्थापित गवाह प्रतीत होता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से, इस समय के संबंध में गंभीर संदेह है कि इंदर (पीडब्लू-2) को कब चोटें आई हैं और कब उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी।उन्होंने कहा कि इंदर (पीडब्लू-2) और डॉ. अनूप कुमार (पीडब्लू-6) के साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास और विसंगतियां हैं।

बी.

6. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि अपीलार्थियों के कहने पर तथाकथित वसूली भी झूठी है और इस पर भरोसा नहीं विद्वान जा सकता था।विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मृतक के भाई विजय सिंह से पूछताछ नहीं की है, जिन्होंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन शेरगढ़ को टेलीफोन पर घटना की सूचना दी थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विजय सिंह द्वारा दी गई टेलीफोनिक जानकारी के आधार पर स्टेशन डायरी प्रविष्टि को भी अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबाने की कोशिश की है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि कृपा और ओमवती, मृतक की पत्नी और बहन को चोटें आई हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं की गई है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे, लेकिन अभियोजन पक्ष उनकी जांच करने में विफल रहा है और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है।विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसलिए प्रस्तुत विद्वान कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए निर्णय और आदेश अपास्त करना और दरकिनार विद्वान जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

7. सुश्री प्रसाद ने कहा कि केवल इसलिए कि ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) मृतक के रिश्तेदार हैं, यह उनकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों से जिरह की गई है और उनकी जिरह में कुछ भी हानिकारक नहीं पाया जा सका है।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) की नेत्र संबंधी गवाही साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 27 के तहत ज्ञापन पर आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी से विधिवत पुष्टि होती है।इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत विद्वान कि निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित समवर्ती आदेशों में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

8. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिंह ने प्रस्तुत विद्वान कि इंदर (पीडब्लू -2) एक घायल गवाह है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि जरनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, घायल गवाह की गवाही को एक विशेष साक्ष्य का दर्जा मिलेगा।वह इस न्यायालय के फैसले पर भी निर्भर करता है

अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य **2** का मामला आगे बढ़ेगा

बी.

उसका समर्पण।9. श्री सिंह ने आगे कहा कि निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निष्कर्ष सबूतों की सराहना पर आधारित हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय आम तौर पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या समीक्षा नहीं करेगा जब तक कि उच्च न्यायालय के निर्णय को कानून या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित नहीं किया जाता है।वह इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है

सी.

श्रीमती का मामला। दलबीर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य 3.

10. निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से पता चलेगा कि दोषसिद्धि मूल रूप से ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) की गवाही पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्तों के ज्ञापन के आधार पर की गई बरामदगी से इन गवाहों की गवाही की पुष्टि करने की मांग की है। निचली विचारण न्यायालय ने कहा कि आरोपी कन्हैया द्वारा की गई पहचान के आधार पर फरसा को जब्त किया गया था।निचली विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि हथियार फरसा और राइफल आरोपी दीपी और बलवीर के कहने पर जब्त किए गए थे।

डी.

ई.

11. इन निष्कर्षों की शुद्धता की जांच करने के लिए, हम पहले ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) की गवाही का आकलन करेंगे।ये दोनों गवाह मृतक प्रकाश के भाई हैं।इस प्रकार, वे मृतक से संबंधित होने के कारण इच्छुक गवाहों की श्रेणी में आते हैं।हालाँकि, उनकी गवाही को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि गवाह इच्छुक गवाह हैं।एकमात्र आवश्यकता यह होगी कि ऐसे गवाहों के साक्ष्य की अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए।

एफ.

12. ओमवीर (पीडब्लू-1) का कहना है कि जब उसका मृत भाई प्रकाश और कृपा (प्रकाश की पत्नी) अपनी बहन ओमवती के साथ आगामी शादी का निमंत्रण देने जा रहे थे, तो सभी आरोपी व्यक्ति खुद को दीपी के घर में छिपा रहे थे।मृतक को देखकर

जी.

1 (2009) 9 एससीसी 719 2 (2010) 10 एससीसी 259 3 (1976) 4 एससीसी 158 ए

एच.

27

खेमा @खेमा चंद्र ई. टी. सी. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

प्रकाश, सब बाहर आ गए।आरोपी दीपी और कन्हैया फरसा से लैस थे, आरोपी खेमा उर्फ खेम चंद्र लाठी से लैस था, आरोपी जसराम और महावीर देसी पिस्तौल से लैस थे और आरोपी बलवीर के पास राइफल थी और उन्होंने उसके मृत भाई प्रकाश पर हमला किया।उनका कहना है कि प्रहार फरसा के पीछे की ओर से किए गए थे।उनका कहना है कि शोर-शराबा सुनकर वे और गांव के अन्य निवासी मौके पर पहुंचे और घटना को देखा।ओमवीर (पीडब्लू-1) के अभिसाक्ष्य में कई सुधार हुए हैं।ओमवीर (पीडब्लू-1) की प्रतिपरीक्षा के एक अंश का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः

बी.

“जब झगड़ा शुरू हुआ तो मैं अपने घर के अंदर था।मैंने चार-पाँच राउंड गोलीबारी सुनी।मैं गोली चलने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकला और मौके पर पहुंच कर देखा कि प्रकाश मृत पड़ा हुआ था।जब मैं मौके पर पहुंचा तो इंदर मौके पर था।इंदर चोट लगने के बाद गिर गया था। वह पूरी तरह से बेहोश नहीं था।”

सी.

डी.

13. यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि इंदर (पीडब्लू-2) ने भी स्वीकार किया है कि घटना के समय ओमवीर (पीडब्लू-1) घर के अंदर था।

14. इतना ही नहीं, बल्कि निचली विचारण न्यायालय ने खुद अपने फैसले में कहा है

इस प्रकारः

ई.

“उक्त गवाह की गवाही को पूरी तरह से देखने पर यह स्पष्ट है कि गवाह पहले से मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन वह गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंच गया।इसलिए उसने घटना को

नहीं देखा, लेकिन शोर-शराबा सुनकर वह मौके पर पहुंच गया था, इसलिए उक्त गवाह की गवाही मौके पर आरोपी की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण है और वे हथियारों से लैस थे जैसा कि खुलासा किया गया था और उनके द्वारा दिया गया था कि अगर किसी को पहली जानकारी दर्ज कराई जाएगी, तो उसे मार दिया जाएगा।"

एफ.

15. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निचली विचारण न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ओमवीर (पीडब्लू-1) इस घटना का गवाह नहीं हो सकता था।

जी.

16. यह हमें इंदर (पीडब्लू-2) की गवाही के साथ छोड़ देता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंदर (पीडब्लू-2) एक घायल गवाह है और इसलिए, उसकी गवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।जरनैल सिंह (ऊपर) और अब्दुल सईद (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर श्री सिंह द्वारा रखी गई निर्भरता अच्छी तरह से योग्य है।तथ्य यह है कि गवाह को प्राप्त हुआ

एच.

चोट घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति स्थापित करती है।ऐसे गवाह के साक्ष्य को तब तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इस तरह की अस्वीकृति के लिए मजबूत आधार न हों।इंदर (पीडब्लू-2) ने घटना कैसे हुई, इसका विस्तृत विवरण दिया है।उन्होंने कहा है कि आरोपी दीपी और कन्हैया ने फरसा से हमला किया, आरोपी खेमा ने लाठी से हमला किया और आरोपी बलवीर, महावीर और जसराम ने अपनी बंदूकों से हमला किया।आरोपी बलवीर, महावीर और जसराम ने एक साथ गोलीबारी की।उनका कहना है कि जब ओमवती उन्हें बचाने के लिए उन पर लेटी तो आरोपी व्यक्तियों ने ओमवती पर पत्थरों और डंडे से हमला किया।

बी.

17. यह घटना 27 अप्रैल 2002 को हुई थी।हालाँकि, इंदर (पीडब्लू-2) का बयान 21 मई 2002 को धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था।अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया कि पुलिस ने 30 अप्रैल 2002 को उससे पूछताछ नहीं की थी।न केवल उनका बयान दर्ज करने में लंबी देरी हुई है, बल्कि इंदर (पीडब्लू-2) की चिकित्सा जांच के संबंध में भी गंभीर विसंगतियां हैं।चोट रिपोर्ट (Ex.-P7) में, परीक्षा का समय 10.20 अपराह्न बताया गया है। ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के बाद वे

पुलिस स्टेशन शेरगढ़ गए थे और वे सुबह 10.00 से 11.00 सुबह तक शेरगढ़ पुलिस स्टेशन में थे।अपने साक्ष्य में, इंदर (पीडब्लू-2) ने कहा है कि वह 12.00 बजे अस्पताल पहुंचे हैं और उनकी चिकित्सा जांच दिन के समय की गई थी।डॉ. अनूप कुमार (पीडब्लू-6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि इस बात की संभावना थी कि चोटें 27 अप्रैल 2002 को सुबह 1 बजे लगी थीं।अपनी जिरह में, वह स्वीकार करता है कि चिकित्सा जांच की रिपोर्ट में, उसने चोटों का ताजा अर्थ के रूप में उल्लेख किया है जिससे कि ऐसी चोटें 2 घंटे से 6 घंटे की अवधि के भीतर लगी थीं।वह आगे स्वीकार करते हैं कि 27 अप्रैल 2022 को दोपहर 10.20 पर चिकित्सा जांच की गई थी।इस प्रकार, चोटें 04.20 बजे के बाद लग सकती हैं।उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि संबंधित रजिस्टर में इंदर (पीडब्लू-2) को हुई चोटों के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

18. यह ध्यान देने योग्य है कि चोटों के समय और इंदर (पीडब्लू-2) की चिकित्सा जांच के समय के संबंध में ऐसी विसंगतियों को देखने के बाद, डॉ. अनूप कुमार (पीडब्लू-6) को अतिरिक्त जिला सरकारी प्लीडर के अनुरोध पर वापस बुला लिया गया था।अपनी पुनः जांच में, उन्होंने कहा है कि किसी गलती के कारण, 10.20 PM का उल्लेख चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट में किया गया था और वास्तव में, यह 27 अप्रैल 2002 को सुबह 10.20 पर किया गया था। उसकी आगे की प्रतिपरीक्षा में, उसके पास ए है

जी.

एच.

विरोधाभासी जवाब दिए गए।उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी रात में ड्यूटी नहीं की थी और इसलिए, वे कह सकते हैं कि उन्होंने 10.20 बजे मेडिकल जांच नहीं की थी।उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि कर्तव्य रोस्टर के आधार पर तय किए जाते हैं और कर्तव्य नियमित आधार पर नहीं होते हैं।उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि उन्हें शिफ्ट के आधार पर कर्तव्यों को निभाना आवश्यक है।इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चोट लगने के समय और इंदर (पीडब्लू-2) की चिकित्सा जांच के समय के संबंध में गंभीर विसंगतियां हैं।

बी.

19. डॉ. अनूप कुमार (पीडब्लू-6) का यह कथन कि उन्होंने सुबह 10.20 पर ही इंदर (पीडब्लू-2) की जांच की थी, ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) के साक्ष्य से गलत साबित होता है।उन दोनों के अनुसार, वे सुबह 10.00 से 11.00 सुबह तक शेरगढ़ पुलिस स्टेशन में थे और उसके बाद, इंदर (PW-2) मथुरा के लिए रवाना हो गए।यहां तक कि इंदर (पीडब्लू-2) के अनुसार, वह 12.00 बजे के बाद मथुरा पहुंचे।उन्होंने कहा कि अस्पताल पहुंचने के बाद लगभग 2 घंटे बाद उनकी जांच की गई।इस प्रकार, भले ही डॉ. अनूप कुमार (पीडब्लू-6) का यह कथन कि उन्होंने सुबह 10.20 पर इंदर (पीडब्लू-2) की जांच की थी, स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन यह ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) की गवाही के साथ पूरी तरह से असंगत है।इस प्रकार, चोट प्रमाणपत्र में कुछ मनगढ़ंत होने की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।20. हम इस बात से अवगत हैं कि मामूली विसंगतियों के आधार पर इंदर (पीडब्लू-2) के साक्ष्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसके साक्ष्य में भौतिक सुधार हैं।इसलिए उसके साक्ष्य की अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच करने की आवश्यकता है।यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी और मृतक के बीच पूर्व शत्रुता है।जैसा कि इस न्यायालय ने रामाशीष राय बनाम जगदीश सिंह 4 के मामले में कहा था, पिछली शत्रुता दोधारी तलवार है।एक ओर, यह अपराध के लिए उद्देश्य प्रदान करता है और दूसरी ओर, गलत निहितार्थ की संभावना है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

21. वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य **5** के प्रसिद्ध मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

“…….इसलिए, हमारी राय में, यह कानून का एक ठोस और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि न्यायालय गुणवत्ता से संबंधित है न कि साबित करने या साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से।

जी.

4 (2005) 10 एससीसी 498 5 [1957] एससीआर 981

एच.

एक तथ्य को अस्वीकार करना।आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

(1) पूरी तरह से विश्वसनीय।

(2) पूरी तरह से अविश्वसनीय।

(3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।सबूत की पहली श्रेणी में, न्यायालय को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए-वह किसी एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकती है या बरी कर सकती है, अगर वह निंदा या रुचि, अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर पाई जाती है।दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं होती है।यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है कि न्यायालय को चौकस रहना होगा और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होगी।

बी.

सी.

22. हम पाते हैं कि इंदर (पीडब्लू-2) की गवाही तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आएगी अर्थात उसके साक्ष्य को "न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय" कहा जा सकता है।इस प्रकार, यह आवश्यक होगा कि उनकी नेत्र संबंधी गवाही की कुछ पुष्टि हो।

डी.

23. निचली विचारण न्यायालय ने अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए अभियुक्त व्यक्तियों के ज्ञापन पर हथियारों की बरामदगी पर भरोसा किया था।जहां तक आरोपी कन्हैया की जब्ती का सवाल है, उसे 1 मई 2002 को गिरफ्तार किया गया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब्ती ज्ञापन में कोई स्वतंत्र पंच नहीं हैं।इसके अलावा, आरोपी कन्हैया का ज्ञापन बयान, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया जाना आवश्यक है, भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है।

ई.

एफ.

24. जहाँ तक अभियुक्त दीपी और बलवीर के कहने पर बरामदगी का संबंध है, उक्त अभियुक्तों ने 7 मई 2002 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।जाँच अधिकारी (पीडब्लू-7)

इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि 8 मई 2002 को कोशी रोड पर बुर्जी में हथियारों की तलाशी ली गई थी, लेकिन वह कोई हथियार बरामद नहीं कर सके।हालाँकि 17 मई 2002 को आरोपी दीपी और बलवीर के कहने पर कथित तौर पर बरामदगी की गई।यहां तक कि इन दोनों अभियुक्तों के संबंध में बरामदगी के जब्ती ज्ञापन पर भी किसी स्वतंत्र पंच गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं।इन दोनों अभियुक्तों के मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज ज्ञापन भी ए नहीं है।

जी.

एच.

31

खेमा @खेमा चंद्र ई. टी. सी. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

रिकॉर्ड में रखा गया।इस प्रकार, उक्त वसूली को संदेह मुक्त नहीं कहा जा सकता है।

25. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि घटना के तुरंत बाद मृतक प्रकाश के भाई विजय सिंह के साथ-साथ ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) ने पुलिस स्टेशन शेरगढ़ को टेलीफोन पर घटना के बारे में सूचित किया जो ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) के साक्ष्य में रिकॉर्ड में आया है।न तो विजय की जांच की गई है और न ही उक्त टेलीफोनिक संदेश के संबंध में स्टेशन डायरी प्रविष्टि को रिकॉर्ड में रखा गया है।हालांकि इंदर (पीडब्लू-2) ने स्वीकार किया है कि इस घटना को परमाल, राजवीर और अन्य निवासियों ने देखा था, लेकिन उनमें से किसी की भी जांच नहीं की गई थी।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की वास्तविक उत्पत्ति को रिकॉर्ड पर नहीं लाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

26. श्री सिंह ने श्रीमती के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया है। दलबीर कौर (ऊपर) ने इस दलील के समर्थन में कहा कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, इस न्यायालय को साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं करनी चाहिए।इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री सिंह ने श्रीमती के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था। दलबीर कौर (ऊपर) अच्छी तरह से योग्य हैं।तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के मामलों में यह न्यायालय सामान्य रूप से उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, असाधारण परिस्थितियों में, इस न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार है।यदि इस न्यायालय को लगता है कि साक्ष्य और निष्कर्षों का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की किसी भी त्रुटि से दूषित है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, अभिलेख की त्रुटियों और साक्ष्य के गलत अध्ययन के विपरीत पाया जाता है, या जहां उच्च

न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं, तो यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने में असमर्थ नहीं होगा।इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

प्रशासन बनाम श्री ओम प्रकाश **6,** अरुणाचलम बनाम पी**.** एस**.** आर**.** साधनानथम और अन्य **7,** मिथलेश कुमारी और एक अन्य बनाम प्रेम बिहारी खरे **8,** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेश।बाबुल नाथ **9,** और पट्टक्कल कुन्हीकोया **(**मृत**)** एल**.** आर**.** बनाम।तुपियक्कल कोया और अन्य **10**।

27. हाल ही में**,** अशोक सिंह जयेंद्रसिंह बनाम गुजरात राज्य **11** के मामले में इस न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया था कि जब उच्च न्यायालय विफल रहा है।

जी.

6 (1972) 1 एससीसी 249 7 (1979) 2 एससीसी 297 8 (1989) 2 एससीसी 95 9 (1994) 6 एससीसी 29 10 (2000) 2 एससीसी 185 11 (2019) 6 एससीसी 535

एच.

मौखिक साक्ष्य की सराहना करने के लिए, यह न्यायालय निश्चित रूप से सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की सराहना करने का हकदार होगा।उक्त मामले में भी, इस न्यायालय ने यह पाते हुए कि महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करने के बाद दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करना दिया और आरोपी को बरी कर दिया।

28. वर्तमान मामले में, हम देखते हैं कि निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विसंगतियों और विसंगतियों को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं।29. साक्ष्य के अवलोकन के साथ-साथ स्वयं निचली विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि ओमवीर (पीडब्लू-1) को चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, इंदर (पीडब्लू-2) एक घायल चश्मदीद गवाह है, लेकिन चोट लगने के समय और जिस समय उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी, उसके संबंध में गंभीर विसंगतियां और विसंगतियां हैं।डॉ. अनूप कुमार (पीडब्लू-6) ने अपने साक्ष्य में कई मौकों पर अपना रुख बदला है।उनकी

गवाही ओमवीर (पीडब्लू-1) और इंदर (पीडब्लू-2) की गवाही के बिल्कुल विपरीत है।जैसा कि हम मानते हैं, इंदर (पीडब्लू-2) की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं होगी, हालांकि वह एक घायल गवाह है।अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियारों की कथित बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा मांगी गई पुष्टि भी संदेह से मुक्त नहीं है।सुबह 9.05 बजे विजय सिंह द्वारा दी गई टेलीफोन सूचना के संबंध में न तो स्टेशन डायरी प्रविष्टि को रिकॉर्ड में लाया गया है और न ही विजय सिंह की जांच की गई है।हालाँकि स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे, लेकिन अभियोजन पक्ष उनकी जाँच करने में विफल रहा है।इसलिए हम पाते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थियों संदेह के लाभ के हकदार हैं।30. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैंः

बी.

सी.

डी.

ई.

((i) अपीलों की अनुमति है।

एफ.

(ii) 2006 की आपराधिक अपील संख्या 6961,7260 और 6227 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30 अप्रैल 2019 का निर्णय और आदेश और 2002 की सत्र सुनवाई संख्या 515 और 655 में निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित 28 सितंबर 2006 का निर्णय और आदेश रद्द कर दिए गए हैं। और

जी.

((iii) अपीलार्थियों सभी आरोपित आरोपों से बरी हो जाते हैं।दीपी, जिसे जमानत पर बढ़ा दिया गया है, उसके जमानत बांड रद्द कर दिए जाएँगे, जबकि बाकी अभियुक्तों को किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं होने पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

एच.

33

खेमा @खेमा चंद्र ई. टी. सी. बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

ए.

31. जमानत के लिए आवेदन सहित लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटा दिए जाएंगे।

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.